

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

महाराष्ट्र सरकार

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम सुजागाव

विनोदी देवी

बनाम अनिता गोमल

किस्म प्रा० पत्र अ० नि०

मुकदमां नं.

५२ सन् २०२३

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए
12.04.23	<p>वकील जार्जिनी द्वारा सुर्जना-पत्र अस्थाई निवेदना पेश किया गया। सरिस्ता से रिपोर्ट हेतु ही है। जार्जिनी-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अजार्जिनी को जस्टिस नोटिस तलब किया जावे।</p> <p>वकील जार्जिनी ही छुपसीय वरुध सुनी गई। बाद सुनवाई अजार्जिनी को जस्टिस अनुरोध अस्थाई निवेदना से वर्जित किया जाता है कि खेत खण्ड ए० 2121/627 रकबा 1.6438 हेक्टेर रोही मंजि सालाख तह-सुजागाव जिला-छत्रपती शिवाजी का भागानी आदेश एक मॉडि एंग रजलक रिडर्स की अस्थापित बनाए रखे। अगु इसके शर्त आपतिते तो दिनांक 19/05/2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करेंगे।</p>	
19/05/23	<p>फावली पेश हुई। फावली वास्ते तलबी अजार्जिनी हेतु दिनांक 27/07/23 को पेश हो।</p>	
17/07/23	<p>जार्जिनी प्रथम अस्थित उपस्थित होकर जार्जिनी-पत्र मिसल पेशी में लेने का पेश किया जिस पर मिसल आज की पेशी में ली गई। साथ ही छु जाण फा. जार्जिनी-पत्र अस्थाई निवेदना विद्वा करने बाकर पेश किया कि पर जार्जिनी को सुन गमा। वही जाण फा जारमिडि स्केन (तलबी) में है इसलिए सुताविडि जाण फा ता। विद्वाबल के आचार पर, जाण फा अस्थाई</p>	<p>विनोदी देवी अध्यापिका कम</p>

रीख हुवम

हुवम या कार्यवाही

हुवम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज

निषेधाज्ञा इही स्टेज पर खरीम किया जगस ठे
पजावली फंसल शुभा होइल मूल का कसाय
सीलन हो

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

[Faint, mostly illegible handwritten text in Hindi, likely a detailed report or order.]